

## न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 39 / 2022 FSSA

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

— आवेदक—

### बनाम

1. श्री कमल कुमार पुत्र श्री पदम चन्द जैन  
एफबीओ मैसर्स:—अरिहन्त एजेन्सी, एस.बी.बी.जे. के सामने सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. श्री मुकेश तिवारी पुत्र श्री द्वारका प्रसाद नोमिनी  
एफबीओ मैसर्स:—वरुण बेवरेज लिमिटेड, खसरा नम्बर 315/320, गिरधरपुरा पोस्ट कैलाई तहसील सिकराय जिला दौसा।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

: श्री विजय कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 व 2 उपस्थित।

—: आदेश :—

दिनांक:— 29.04.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी ने दिनांक 26.05.2022 को दोपहर 02:30 बजे मैसर्स अरिहन्त एजेन्सी, एस.बी.बी.जे. के सामने सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय विक्रेता श्री कमल कुमार पुत्र श्री पदम चन्द जैन उपस्थित मिला, जिन्होंने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर 150 कार्टुन में 1.25 लीटर में पैक Sweetned Carbonated Water (Mountain Dew) आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई थी। इसमें मिलावट का शक होने पर इसमें से एक कार्टुन की 12 बोतल X 1.25 लीटर नमूने की जांच हेतु खरीदी। जिसकी कीमत 580 रुपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा Sweetned Carbonated Water (Mountain Dew) की 12 बोतलो को चार जगह कर (4 X 3 बोतल) के चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग-अलग एक खाकी कागज में लपेटकर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.-2975 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार-चार जगह से चपड़ी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। मौके पर विक्रेता ने उक्त खाद्य पदार्थ का खरीद बिल नम्बर RJ0020792810 Date 16-05-2022 प्रस्तुत किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द बोतल एक आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर तथा फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 27.05.2022 को खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 27.05.2022 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये। नमूने का चतुर्थ सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 27.05.2022 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाया।

उक्त खाद्य पदार्थ Sweetned Carbonated Water (Mountain Dew) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./1998/एक्ट/2022/2019 दिनांक 09.06.2022 के अनुसार यह नमूना मिसब्रान्ड (Misbrand) पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 वरुण बेवरेजेज लिमिटेड की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./1998/एक्ट/2022/2019 दिनांक 9.6.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ Sweetned Carbonated Water(Mountain Dew) के नमूने के लेबल पर वरुण बेवरेजेज लिमिटेड अंकित किया गया है लेकिन Manufacturer/packer का पूरा पता नमूने के लेबल पर नहीं दिया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ के लेबल पर Manufacturer/packer के पते के सम्बन्ध में कोई संकेत नहीं दिया गया है, केवल मात्र बार कोड नमूने के लेबल पर दिया गया है, जो कि Regulation No. 2.2.2(6) of FSS(Packaging and Labelling) Regulation 2011 का उल्लंघन पाये जाने के कारण सेक्शन 3(1)(Zf(C)(i) Food Safety and Standards Act 2006 के अन्तर्गत मिसब्रान्ड (Misbrand) स्तर का पाया गया है। विक्रेता ने मिसब्रान्ड (Misbrand) स्तर के खाद्य पदार्थ Sweetned Carbonated Water(Mountain Dew) का विक्रय कर एफ.एस.एस.एक्ट की धारा 26 की उप धारा (2)(II) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि खाद्य पदार्थ Sweetned Carbonated Water(Mountain Dew) के नमूने पर बार कोड अंकित किया हुआ है जिससे खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध में सभी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। Regulation 8 of FSS(L&D) Regulation,2020 also provides exemption from printing the address of Brand owner on the label if the same is given in bar code. उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने की खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ में किसी artificial flavouring, clouring or chemical preservative पाया जाना अंकित नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण ने खाद्य पदार्थ Sweetned Carbonated Water(Mountain Dew) का विक्रय कर किसी प्रकार का अपराध नहीं किया है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरण ड्रॉप फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./1998/एक्ट/2022/2019 दिनांक 9.6.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ Sweetned Carbonated Water (Mountain Dew) के नमूने के लेबल पर

Manufacturer/packer का पूरा पता अंकित नहीं किये जाने के कारण Regulation No. 2.2.2(6) of FSS(Packaging and Labelling) Regulation 2011 का उल्लंघन पाये जाने के कारण सेक्शन 3(1)(Zf(C)(i) Food Safety and Standards Act 2006 के अन्तर्गत यह खाद्य पदार्थ मिसब्रान्ड (Misbrand) स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण ने मिसब्रान्ड (Misbrand) स्तर के खाद्य पदार्थ Sweetned Carbonated Water (Mountain Dew) का विक्रय कर एफ.एस.एस.एक्ट की धारा 26 की उप धारा (2)(II) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट की धारा 52 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा मिसब्रान्ड (Misbrand) स्तर के खाद्य पदार्थ Sweetned Carbonated Water (Mountain Dew) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 श्री कमल कुमार पुत्र श्री पदम चन्द जैन एफबीओ मैसर्स:-अरिहन्त एजेन्सी, एस.बी.बी.जे. के सामने सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा पर 3,00,000/- (अक्षरे तीन लाख रुपये) एवं अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 मुकेश तिवारी पुत्र श्री द्वारका प्रसाद नोमिनी एफबीओ मैसर्स:-वरुण बेवरेज लिमिटेड, खसरा नम्बर 315/320, गिरधरपुरा पोस्ट कैलाई तहसील सिकराय जिला दौसा पर 3,00,000/- (अक्षरे तीन लाख रुपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 व 2 उक्त राशि निर्णय दिनांक 29.04.2024 के एक माह के अन्दर-अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित (Chief Medical & Health Officer Dausa) के मद 0210-04-800-03-00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 29.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( सुमित्रा पारीक )

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा

दिनांक:- 29.04.2024

क्रमांक / FSSA / 2024 /

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री कमल कुमार पुत्र श्री पदम चन्द जैन  
एफबीओ मैसर्स:-अरिहन्त एजेन्सी, एस.बी.बी.जे. के सामने सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. श्री मुकेश तिवारी पुत्र श्री द्वारका प्रसाद नोमिनी  
एफबीओ मैसर्स:-वरुण बेवरेज लिमिटेड, खसरा नम्बर 315/320, गिरधरपुरा पोस्ट कैलाई तहसील सिकराय जिला दौसा।

( सुमित्रा पारीक )

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा